

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून ।
(अनाधिकृत निर्माण/विकास कार्य को सील करने हेतु आदेश)

पत्रांक : 971 / वाद सं० आर-0191/एस-12/2026

दिनांक: 06/06/2026

श्री कामिल,
निवासी-वन विहार शिमला रोड,
देहरादून।

विपक्षी श्री कामिल, निवासी-वन विहार शिमला रोड, देहरादून, द्वारा स्थल पर भूतल प्रथम तल पर लगभग 26 गुणा 26 फिट क्षेत्रफल में बिना प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराए निर्माण कार्य किये जाने के कारण प्राधिकरण द्वारा उत्तराखण्ड (उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत नोटिस जारी कर वाद संख्या आर-0191/एस-12/2025 योजित किया गया है।

उपरोक्त वाद में दिनांक 13.2.2026 को उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम, 2009 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत विपक्षी कारण बताओ नोटिस प्रेषित किया गया। जिसे विपक्षी के पते पर दिनांक 17.2.2026 को स्थल पर तामिल करवाया गया।

उक्त नोटिस के द्वारा विपक्षी को अवगत कराया गया कि, स्थल पर भूतल प्रथम तल पर लगभग 26 गुणा 26 फिट क्षेत्रफल में बिना प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराए निर्माण कार्य किया जा रहा है तथा अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए सुनवाई हेतु दिनांक 06.3.2026, 27.3.2026, 17.4.2026, 08.5.2026, की तिथि नियत की गयी थी। नियत तिथि पर उपस्थित रहे। क्षेत्रीय अभियन्ता की स्थल निरीक्षण आख्यानुसार विपक्षी द्वारा प्राधिकरण से बिना मानचित्र स्वीकृति के भूतल एवं प्रथम तल पर 20 गुणा 20 फीट के क्षेत्रफल में निर्माण किया गया है। विपक्षी द्वारा कोई भी शमन मानचित्र प्रस्तुत नहीं किया गया है न ही पूर्व में मानचित्र स्वीकृत है। निर्माण को सील करने की संस्तुति की गई है।

विपक्षी द्वारा निर्माण के सम्बन्ध में कोई ठोस साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। विपक्षी जानबूझ कर वाद को लम्बित रखना चाहता है। जो न्यायहित में उचित नहीं है।

अतः उक्त परिस्थितियों में पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन उपरान्त सम्पूर्ण चालान शुदा अवैध निर्माण के विरुद्ध सीलिंग आदेश पारित करने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं रह जाता है।

—आदेश—

अतः विपक्षी श्री कामिल, निवासी-वन विहार शिमला रोड, देहरादून, द्वारा स्थल पर भूतल प्रथम तल पर लगभग 22 गुणा 20 फिट क्षेत्रफल में बिना प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराए निर्माण कार्य किये जाने के कारण प्राधिकरण द्वारा उत्तराखण्ड (उ० प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009 के अन्तर्गत चालान शुदा निर्माण को सील करने के आदेश पारित किये जाते हैं। उक्त अवैध निर्माण को प्राधिकरण द्वारा दिनांक 19/6/26 को सील किया जाना है।

अतः विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि सील की तिथि से पूर्व उक्त परिसर को खाली कर दे तथा स्थल पर स्वयं उपस्थित रहकर सील की कार्यवाही निष्पादित कराये। विपक्षी को ये भी निर्देश दिया जाता है कि स्थल पर लगाई गयी सील को न तो क्षतिग्रस्त करे, और न होने दें। क्योंकि उक्त कृत्य शासकीय कार्य में बाधा डालना एवं सरकारी सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने के समान है जो कानून दण्डनीय अपराध है।


पी०अधि०/संयुक्त सचिव,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।